राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज. जयपुर

क्रमांकः— नर्सिंग / फार्मासिस्ट / स्थाईकरण / 2014 / दिनांक

—:आदेशः—

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा याचिका संख्या 5127 / 2014 द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार न्योला (अभ्यर्थी फार्मासिस्ट—2011) बनाम सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2014 की पालना में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा—2011 को संशोधित परिणाम के अनुरूप संशोधित वरीयता सूची की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग / फार्मासिस्ट / स्थाईकरण / 2014 / 323 दिनांक 26.08.2014 के द्वारा परिवीक्षाकाल में कार्यरत फार्मासिस्टों के स्थाईकरण के जारी किये गये आदेश को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।

(दिनेश कुमार जाँगिड़)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः— नर्सिंग / फार्मासिस्ट / स्थाईकरण / 2014 / 330 दिनांक 1/9/2014

प्रतिलिपि :—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर को उनके पत्र संख्या 24386 दिनांक 04.08.2014 के क्रम में।
2. अधीक्षक, जनाना अस्पताल / मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय / जे.के.लोन अस्पताल / वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय / महिला चिकित्सालय जयपुर।
3. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी, सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
5. आदेश / निजी पत्रावली।

(दिनेश कुमार जाँगिड़)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर